

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 26 मई, 2016

### अधिसूचना

का.आ. 1902(अ)--केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की धारा 202 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 31 दिसम्बर, 2016 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको या जिससे पूर्व कोई व्यक्ति नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम, 2016 के अधीन कर बकाया या विनिर्दिष्ट कर के संबंध में घोषणा कर सकेगा।

---

[अधिसूचना सं. 34/2016 : फा. सं. 142/11/2016-टीपीएल]

(डा. ठाकुर सिंह मपवाल)  
अवर सचिव, भारत सरकार